03-11-2020

पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उभयपक्ष उपस्थित। वकील वादी ने प्रा० पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी के मध्य राजीनामा हो चुका है वादी प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः प्रा० पत्र स्वीकार कर हस्तगत वादपत्र को विड्रा करने की अनुमति प्रदान करें।

चूंकि वकील वादी के कथनानुसार पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है एवं वादी न्यायालय से प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
चाहता है। अतः वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा हस्तगत वादपत्र को विड्रा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर drop की जाती है। फाइल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राकेश कुमार) RAS सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला	